पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत नगर, पत्रालय–डी0एल0डब्लू0
वाराणसी

दिनांक 06 जून, 2013

प्रेस–विज्ञप्ति

विद्युत चोरी रोकने हेतु चल रहे अभियान में 535 एफ0आई0आर0 दर्ज

वाराणसी।

श्री आलोक कुमार,आई0ए0एस0, प्रबन्ध निदेशक,पूर्वाचंल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ,वाराणसी के निर्देशानुसार पूर्वाचंल के समस्त क्षेत्रो वाराणसी,गोरखपुर,इलाहाबाद,आजमगढ़,मिर्जापुर व बस्ती में विद्युत चोरी रोकने हेतु व्यापक अभियान दिनांक 31 मई 2013 से चलाया जा रहा है।इस अभियान की प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्वयं समीक्षा की जा रही है साथ ही पावर कारपोरेशन मुख्यालय, लखनऊ द्वारा भी किया जा रहा है।

दिनांक 31.05.2013 से 05.06.2013 तक चलाये गये अभियान मे पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 के अधीनस्थ सभी क्षेत्रों की स्थिति निम्नवत है :–

क्रसं0	क्षेत्र का नाम	विद्युत चोरी के प्रकरणों की संख्या	दर्ज प्राथमिकी	प्राप्त शमन		निर्धारण (रू0 लाख मे)	वसूली (रू लाख मे)
				संख्या	धनराशि (रू लाख मे)		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	गोरखपुर क्षेत्र	141	108	38	5.36	24.71	1.03
2	बस्ती क्षेत्र	77	71	07	0.40	0.04	0
3	इलाहाबाद क्षेत्र	218	171	47	5.08	54.77	2.12
4	वाराणसी क्षेत्र	179	86	93	10.98	38.28	1.34
5	मिर्जापुर क्षेत्र	98	72	26	2.80	24.33	1.24
6	आजमगढ़ क्षेत्र	149	27	124	7.04	24.56	8.76
पू0वि0वि0निलि,वाराणसी।		**862**	**535**	**335**	**31.66**	**166.69**	**14.49**

विद्युत चोरी रोकने हेतु चल रहे व्यापक अभियान की समीक्षा करते हुए प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 ने अपने अधीनस्थ समस्त मुख्य अभियन्ता(वितरण) को निर्देश दिया कि अभियान को सफल बनाने हेतु निम्न निर्देशो का भी अनुपालन सुनिशिचित करे।

1. यह देखा जा रहा है कि अधिकतर जॉच 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक के बत्ती एवं पंखा उपभोक्ताओं के यहा ही किये जा रहे है जबकि वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के परिसर मे भी स्थापित संयोजनो की जॉच आवश्यक है।
2. होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंगहोम, वेल्डिंग मशीन इत्यादि की भी जॉच आवश्यक है। जबकि यह कार्य नहीं किया जा रहा है।
3. इस अभियान में क्षेत्र मे स्थापित जिस ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक है उस क्षेत्र के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों व अन्य संयोजनो की पूरी जॉच की जाये।
4. जिन अवैध उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत उपयोग किया जा रहा है, पकड़े जाने पर उनके द्वारा शमनशुल्क जमा न करने की स्थिति में उनके विरूद्व एफ0आई0आर0 दर्ज होना आवश्यक है।

प्रबन्ध निदेशक ने अपने अधीनस्थो से स्पष्ट रूप से कहा है कि शासन व पावर कारपोरेशन मुख्यालय के निर्देशानुसार विद्युत चोरी रोकने हेतु चल रहे व्यापक अभियान को पूरी मजबूती के साथ चलाये तथा अवैध उपभोक्ताओं से विद्युत चोरी करते समय पकड़े जाने पर उनसे शमनशुल्क अवश्य वसूले, यदि उपभोक्ता द्वारा शमनशुल्क नहीं जमा किया जाता है तो उनके विरूद्व एफ0आई0आर0 दर्ज अवश्य कराये। इस अभियान मे उदासीन अधिकारियों को किसी परिस्थिति मे बख्शा नहीं जायेगा।

राकेश सिन्हा
प्रबन्ध निदेशक के अधिकृत प्रवक्ता

द पायनियर
दिनांक 07.06..2013

535 FIRs lodged against power pilferers

PIONEER NEWS SERVICE ■ VARANASI

Managing director (MD), Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited (PVVNL) Alok Kumar said that 535 FIRs had been lodged after 862 cases of power theft were detected during last six days during a special drive launched to check power theft cases in Varanasi, Allahabad, Gorakhpur, Mirzapur, Basti and Azamgarh divisions.

The campaign was launched from May 31 and till June 5. He added that the PVVNL as well as Uttar Pradesh Power Corporation Limited (UPPCL) were reviewing the progress in this direction on a daily basis.

Out of these, 86 FIRs had been lodged as 179 cases of power theft were detected in Varanasi zone while 108 FIRs have been lodged after 141 cases of power theft were detected in Gorakhpur zone, 71 FIRs were lodged as 77 cases were detected in Basti zone, 171 FIRs lodged as 218 cases were detected in Allahabad zone, 72 FIRs lodged after 98 cases were detected in Mirzapur zone and 27 FIRs were lodged after 149 cases were detected in Azamgarh zone.

For checking the power thefts, MD instructed his subordinates to focus mainly on teh commercial and industrial units after he came to know that most of the raids were made in 1 and 2 kilowatt category.

He said that nursing homes, restaurants, hotels and welding units should be properly checked.

He said that in the transformers of those areas where there was excess load, the commercial units should be checked.

He said that in case of illegal customers, FIRs should be lodged against them if they failed to deposit settlement fees.

He said that the drive should be intensified and FIRs should be lodged against those involved in power theft who failed to deposit the fine.

INAUGURATION: The Vice-Chancellor of Banaras Hindu university (BHU), Dr Lalji Singh will inaugurate various facilities in Sir Sundarlal Hospital (SSH) behind 'Ashray' premises including MDR Tuberculosis Room, Interventional Endoscopy Ward, Doctor's Recreation Room, Intensive Care Unit patient vehicle and Mortuary Van on June 8 at 10 am, informed Director of IMS Prof RG Singh and medical superintendent of SSH Prof US Dwivedi.

It is said that the university has made arrangements of Mortuary Van for the conveniences to the people to carry their bodies to cremation ghats and elsewhere.

The rent for carrying body from SSH to Harishchandra Ghat would be ₹ 600, while to Manikarnika Ghat ₹ 900. Forgetting the vehicle one can call on phone no. 230-9595.

प्रबन्ध निदेशक महोदय
सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अमर उजाला
दिनांक 07.06..2013

बिजली चोरी रोकने के लिए कड़ाई करें अफसर

वाराणसी (ब्यूरो)। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक आलोक कुमार ने गुरुवार को मुख्य अभियंताओं को निर्देशित किया कि वे बिजली चोरी रोकने के लिए पीसीएल के नियमों का कड़ाई से पालन कराएं। उन्होंने कहा कि इसमें शिथिलता बरतने वाले अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल करते पकड़े जाने वाले अगर जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।

प्रबंध निदेशक ने कहा कि पता चला है कि एक से दो किलोवाट क्षमता के बत्ती-पंखा उपभोक्ताओं की जांच की जा रही है, जबकि वाणिज्यिक और औद्योगिक परिसरों में स्थापित कनेक्शनों की भी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने बिजली का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों होटल, रेस्टूरेंट, नर्सिंग होम, वेल्डिंग मशीनों, छोटे कारखानों की जांच कराने की हिदायत दी। कहा कि निर्देश के बाद भी ऐसे प्रतिष्ठानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। यह हिदायत गोरखपुर, बस्ती, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ के मुख्य अभियंता (वितरण) को दी गई है।

प्रबन्ध निदेशक महोदय
सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

आज
दिनांक 07.06..2013

पूर्वांचलमें विद्युत चोरीके मामलेमें ५३५ मुकदमे दर्ज

३३५ लोगोंसे ३१.६६ लाख शमन शुल्क वसूल

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम (वाराणसी) के प्रबन्ध निदेशक श्री आलोक कुमारके निर्देशपर वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, विन्ध्याचल और बस्ती मण्डलके विभिन्न जिलोंमें विद्युत चोरी रोकनेके लिए चलाये गये अभियानमें कुल बिजली चोरीके ८६२ मामले प्रकाशमें आये जिसमें ५३५ लोगोंके खिलाफ थानोंमें मुकदमा दर्ज कराया गया। ३३५ लोगोंकसे ३१.६६ लाख रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया। इन लोगोंपर १६६.६९ लाख रुपये राजस्वका निर्धारण किया गया तथा १४.४९ लाख रुपये वसूल किये गये। वाराणसी मण्डलमें १७९ लोगोंमें से ८६ लोगोंके खिलाफ विद्युत चोरीका मुकदमा दर्ज कराया गया तथा ९३ लोगोंसे १०.९८ लाख शमन शुल्क वसूला गया। यह अभियान ३१ मईसे पांच जून तक चलाया गया। इस सम्बन्धमें श्री आलोक कुमारने बताया कि अधिकतर जांच एक किलोवाटसे दो किलोवाट तकके बत्ती एवं पंखा उपभोक्ताओंके यहां ही की जा रही है जबकि वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओंके परिसरमें भी स्थापित संयोजनोंकी जांच आवश्यक है। होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंगहोम, वेल्डिंग मशीन इत्यादि की भी जांच आवश्यक है, जबकि यह कार्य नहीं किया जा रहा है। अभियानमें क्षेत्रमें स्थापित जिस ट्रांसफार्मरपर लोड अधिक है उस क्षेत्रके वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य संयोजनोंकी पूरी जांच की जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक महोदय
सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

जनसंदेश टाइम्स
दिनांक 07.06..2013

कनेक्शनों की जांच में तेजी लाने का निर्देश

वाराणसी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक आलोक कुमार ने बिजली चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शनों की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। सिर्फ घरेलू कनेक्शनों की जांच में एमडी ने कड़ी नाराजगी जतायी।

उन्होंने कहा कि प्रायः यह सूचनाएं मिल रही हैं कि अधिकतर जांच एक किलोवाट से दो किलोवाट तक के बत्ती और पंखा के उपभोक्ताओं के यहां ही की जा रही है। चेकिंग अभियान में शामिल अभियंता और कर्मचारी होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, वेल्डिंग मशीन समेत औद्योगिक और वाणिज्यिक कनेक्शनों की जांच में रुचि नहीं ले रहे। इससे साबित होता है कि अभियंताओं एवं कर्मचारियों की ऐसी जांच में या तो रुचि नहीं है या फिर बात कुछ और ही है।

उन्होंने अभियान के दौरान वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शनों की सघनता से जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह में अभियान के दौरान 862 विद्युत चोरी के मामले प्रकाश में आये। इसमें से 535 उपभोक्ताओं के खिलाफ रपट दर्ज करायी गयी, जबकि शमन शुल्क के रूप में 31.66 लाख रुपये वसूला गया। ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ 166.69 लाख रुपये कर निर्धारण करते हुए 14.49 लाख रुपये वसूला गया। **वरिष्ठ संवाददाता**

प्रबन्ध निदेशक महोदय
सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

होटलों, रेस्टूरेंट, नर्सिंग होम व वेल्डिंग करनेवालों के यहां छापेमारी का आदेश, सिर्फ छोटे उपभोक्ताओं की जांच से एमडी नाराज

वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर कसी जाएगी नकेल

वाराणसी | वरिष्ठ संवाददाता

एक या दो किलोवॉट के उपभोक्ताओं की जांच से पूर्वांचल वितरण निगम लि. के एमडी आलोक कुमार खासा नाराज हैं। उनका कहना है कि छोटे उपभोक्ताओं के बदले बड़े उपभोक्ताओं के यहां औचक छापेमारी कर जांच की जाए। क्योंकि कई ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि रेस्टूरेंट, वेल्डिंग मशीन एवं होटलों में अवैध रूप से बिजली जलायी जा रही है।

हाल के दिनों में जितनी जांच हुई और मामले पकड़े गए, उनमें 90 फीसदी मामले एक या दो किलोवॉट वाले उपभोक्ता रहे हैं। ऐसे उपभोक्ता एक पंखा या बत्ती जलाते हैं। एमडी ने जांच करने वाली टीम एवं अभियंताओं को निर्देश दिया कि जिस क्षेत्र में जांच की जाए, वहां के ट्रांसफार्मर के लोड के आधार पर यह देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संबंधित इलाके में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कई हैं और उसी के चलते लोड ज्यादा है। ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच अवश्य की जाए। खासकर, नर्सिंग होम, रेस्टूरेंट, होटल, कारखाने आदि में भी औचक जांच के निर्देश दिए। अभियंताओं को निर्देश दिया कि बिजली चोरी करने वालों से शमनशुल्क वसुल किया जाए। शुल्क जमा नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआ[illegible] करायी जाए।

हिन्दुस्तान
दिनांक 07.06.2013

प्रबन्ध निदेशक महोदय
सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

पूर्वांचल में पकड़े गये 862 बिजली चोर

वाराणसी (एसएनबी)। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बिजली चोरों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में 862 बिजली चोरों के मामले पकड़े गये। इसमें सबसे अधिक इलाहाबाद परिक्षेत्र में 218 तथा सबसे कम बस्ती परिक्षेत्र में 77 बिजली चोर पकड़े गये।

▶ छोटे उपभोक्ताओं की कसी जा रही नकेल, जबकि औद्योगिक उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शनों की नहीं की जा रही जांच

▶ लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ होगी दण्डात्मक कार्रवाई

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक आलोक कुमार ने बिजली चोरी के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान की समीक्षा करने के उपरांत बताया कि वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, मिर्जापुर व बस्ती परिक्षेत्र में 31 मई से बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पांच जून तक पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में 862 बिजली चोरी के मामले पकड़े गये। इसमें से 535 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी तथा 335 लोगों से ₹31.66 लाख शमन शुल्क वसूला गया। बिजली चोरों पर 166.69 लाख बकाया निर्धारित किया गया तथा 14.49 लाख वसूला गया।

एमडी ने बताया कि गोरखपुर परिक्षेत्र में 141 लोग बिजली चोरी के मामले में पकड़े गये। इसमें से 108 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। 38 लोगों से ₹5.36 लाख शमन शुल्क वसूला गया। इन पर ₹24.71 लाख का बकाया निर्धारण किया गया तथा ₹1.03 लाख की वसूली की गयी। बस्ती परिक्षेत्र में 77 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया, इनमें से 21 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी तथा सात लोगों से ₹0.40 लाख का शमन शुल्क वसूला गया। इन पर ₹0.04 लाख बकाया निर्धारण किया गया। इलाहाबाद परिक्षेत्र में 218 को पकड़ा गया। इसमें से 171 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी तथा 47 लोगों से ₹5.08 लाख शमन शुल्क लिया गया। इन पर ₹54.77 लाख बकाया निर्धारण किया गया तथा ₹2.12 लाख वसूला गया। वाराणसी परिक्षेत्र में 179 बिजली चोरी के मामले पकड़े गये। इसमें से 86 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी तथा 93 लोगों से ₹10.98 लाख शमन शुल्क लिया गया। बिजली चोरों पर ₹38.28 लाख बकाया निर्धारित किया गया तथा इनसे ₹1.34 लाख वसूला गया। इसी तरह मिर्जापुर परिक्षेत्र में 98 बिजली चोरी के मामले पकड़े गये, इनमें से 72 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी तथा 26 लोगों से ₹2.80 लाख शमन शुल्क प्राप्त हुआ। जबकि बिजली चोरों पर ₹24.33 लाख का निर्धारण किया गया। इस दौरान ₹ 8.76 लाख की वसूली की गयी। इसी तरह आजमगढ़ परिक्षेत्र में 149 बिजली चोरी के मामले पकड़े गये। इसमें से 27 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी तथा 124 लोगों से ₹7.04 लाख शमन शुल्क लिया गया। बिजली चोरों पर ₹24.56 लाख का निर्धारण किया गया। इस दौरान ₹8.78 लाख की वसूली की गयी। विद्युत चोरी के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान की समीक्षा करने के उपरांत एमडी ने कहा कि यह देखा जा रहा है कि अधिकतर जांच एक किलोवाट से दो किलोवाट तक के बत्ती व पंखा वाले उपभोक्ताओं के यहां ही किये जा रहे हैं, जबकि वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शनों की जांच नहीं करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंगहोम, वेल्डिंग मशीन आदि चलाने वाले उपभोक्ताओं की जांच करायी जाए। अभियान के दौरान क्षेत्र में स्थापित जिस ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक है उस क्षेत्र के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों व अन्य संयोजनों की पूरी जांच की जाए। जिन अवैध उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत उपयोग किया जा रहा है, पकड़े जाने पर उनके द्वारा तत्काल शमनशुल्क जमा न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाए। एमडी ने कहा कि अभियान के दौरान उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को बख्शा नहीं जायेगा।

राष्ट्रीय सहारा
दिनांक 07.06.2013

प्रबन्ध निदेशक महोदय
सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।